प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न क्र. 1516 (करवी - भार्गव सदस्य) [12/3/2013]

~~परिशिष्ट चार~~

प्रश्न सं. [क्र. 1516]

(P2)

लोक शिक्षण संचालनालय

क्र./ ... / ... / स्था / अ / विजा / 41 / 05 / सी / 1095 भोपाल, दिनांक ...

// आदेश //

श्री ब्रजेश मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा (मूल प्राचार्य,उ.मा.वि.) के विरूद्ध कक्षा 8 वीं के परीक्षा से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं में कांट--छांट एवं उपरिलेखन करने के आरोप में, आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा की अनुशंसा दिनांक 05.0 2007 के आधार पर संचालनालय के पत्र दिनांक 12.04.2007 द्वारा विभागीय जांच प्रस्तावित करते हुए आरोपपत्रादि जारी किया गया । श्री मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दिनांक 07.05. 2007 समाधानकारक न होने से नियमित विभागीय जांच संचालनालय के आदेश दिनांक 06. 07.2010 द्वारा संस्थित की गई एवं जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया ।

जांचकर्ता अधिकारी, के जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.09.2010 के निष्कर्ष में यह उल्लेख किया है कि साक्ष्यों की विवेचना में यह स्पष्ट है कि आरोप के पक्ष समर्थन में जो भी साक्ष्य या अभिलेख बताऐ गए है वे अभियोजन में प्रमाणित नहीं हो सके । जांच प्रतिवेदन में तथ्यात्मक विवेचना उपरांत आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया गया ऐसा प्रतिवेदित किया गया है । जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में यह भी लेख किया है कि आरोप से संबंधित कोई ठोस प्रमाण नहीं पाये जाने से यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कांट--छांट एवं उपरिलेखन किसके द्वारा किया गया है ।

उपरोक्तानुसार संचालनालय के पत्र दिनांक 05.06.2012 द्वारा श्री मिश्रा सहित अन्य आरोपी लोक सेवकों के विरूद्ध दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया ।

श्री मिश्रा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दिनांक 03.07.2012 में यह लेख किया गया है कि उत्तरपुस्तिकाओं में कांट--छांट एवं उपरिलेखन उनके द्वारा नहीं किया गया है। श्री मिश्रा ने अपने प्रतिवाद में यह लेख किया गया है कि परीक्षा कार्य के प्रभारी श्री बाला प्रसाद, प्रधान अध्यापक एवं श्री ओंकार प्रसाद, सहायक शिक्षक द्वारा लिखित में उक्त अनियमितता की सूचना देने पर उनके द्वारा उत्तरपुस्तिकाऐं दिनांक 15.05.2006 को मूल्यांकन केन्द्रों से प्रतिपरीक्षण हेतु बुलाई गई, प्रतिपरीक्षण का कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही अर्थात् दूसरे ही दिन दिनांक 16.05.2006 को म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया, जिसके कारण श्री मिश्रा के कार्यकाल में प्रतिपरीक्षण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका ।

प्रकरण का समग्र अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह स्पष्ट है कि श्री मिश्रा द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं में कांट--छांट एवं उपरिलेखन का आरोप प्रमाणित नहीं होता है ।

अतएव श्री ब्रजेश मिश्रा, तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा, (मूल पद प्राचार्य,उ.मा.वि.). के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित नहीं होने से उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05.06.2012 में प्रस्तावित दण्ड निरस्त करते हुए प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है ।

(सभाजीत यादव)
संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(...)

पृ.क्रं./स्था-1/सं/डी/विजा/41/[illegible]/रीवा/1095 भोपाल, दिनांक [illegible]

1--आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
2--कलेक्टर, जिला रीवा ।
3-- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत, जिला रीवा ।
4-- संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण, रीवा संभाग, रीवा ।
4-- उप संचालक, स्था--1स्थानीय ।
5-- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला रीवा
6-- श्री ब्रजेश मिश्रा,सहायक संचालक, कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ।

संचालक
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी,
[illegible] शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(शिक्षा - 4)

तारांकित प्रश्न क्र. 1516 (फरवरी-मार्च 18 तक)

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था–1 / राज / पी / 242 / 2012 / 1076 भोपाल, दिनांक 13/7/2012

//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित प्राचार्य उमावि का प्रशासनिक आधार पर समान वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित संस्था में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है :–

क्र.	नाम एवं पद	युनिक आईडी	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम एवं डाइस कोड
1	2	3	4	5
1	श्री वृजेश मिश्रा	—	कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा	शा. उ.मा.वि. पिण्डरा मझगवां जिला सतना

2/ स्थानांतरण नीति वर्ष 2012–13 की कंडिका 13, 13.1, 13.2, 13.3 (i, ii), 13.4, 13.5 एवं 14 का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

3/ यदि किसी प्राचार्य की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय शेष हो तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जाये ।

4/ यदि किसी प्राचार्य को शिकायत या अन्य प्रशासनिक कारणों से किसी स्थान से पूर्व मे स्थानांतरित किया गया हो तो पुनः उसी स्थान हेतु उसे कार्यमुक्त / पदभार ग्रहण न कराया जाए।

5/ कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित अधिकारी / कर्मचारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा ।

6/ कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा ।

7/ स्थानांतरित किए गए शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाईन करने के पश्चात स्वीकृत किया जाएगा ।

8/ उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"

आयुक्त 13/7
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / स्था–1 / राज / पी / 242 / 2012 / 1077 भोपाल, दिनांक 13/7/2012

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

लोक सूचना अधिकारी
कार्या. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

9.1.17

सत्य प्रतिलिपि

सहायक लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय कमिश्नर
रीवा सम्भाग रीवा (म०प्र०)

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग